

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त, 2000 (श्रावण 12, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुमसिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 3078-3787-98-पन्द्रह-1, दिनांक 16 दिसम्बर, 1998;

(ख) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12 अप्रैल, 1999;

(ग) क्रमांक एफ-5-2-99-पन्द्रह-1, दिनांक 1 मई, 1999;

(घ) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 15 जून, 1999;

(ङ.) क्रमांक 3135-1157-99-पन्द्रह-1, दिनांक 14 अक्टूबर, 1999; तथा

(च) क्रमांक एफ-15-27-97-पन्द्रह-1, दिनांक 20 जून, 2000,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 139 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य, इंदौर नगर में अतिक्रमण कर अवैध रूप से भवनों का निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अजय चन्द्राकर (डाला), शिवरतन शर्मा, सदस्य, मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुल-पुलियों एवं अन्य निर्माण कार्य न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरे बनाने जाने.

(2) सुश्री कुसुमसिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवेन्द्र नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने; तथा

(ख) शासकीय माध्यमिक शाला बड़ा बाजार पन्ना का उन्नयन कराये जाने; एवं

(3) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के तहसील नरवर के ग्राम सड़ में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित
समय

5. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घण्टा
30 मि.

(2) बरगी बांध योजनान्तर्गत कार्यो तट नहर का निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री रामप्रताप सिंह, प्रभाकर सिंह, लखवेश सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घण्टा
30 मि.

(3) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, श्री राजेन्द्र भारती (दलिया), श्री नरेन्द्र बिस्वारे, ~~डॉ. गौरीशंकर शोजवार~~, डॉ. गौरीशंकर शोजवार, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, लाल सिंह, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), धूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, कमल पटेल, श्रीमती सुधा जैन, श्री राकेश शुक्ला, श्री रसाल सिंह, श्रीमती शबनम मौली, श्री रणवीर सिंह तथा श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 2 अगस्त, 2000

के.पी. सिन्हा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.